

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 318/2018-19



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

गनसा मुण्डा

- विक्रेता

सुशीला तिरकी

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
30.05.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक गनसा मुण्डा पिता स्व० लोहरा पाहन ग्राम-काटमकुकू, महुँवाटोली, पोस्ट-लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने श्री सुशीला तिरकी पति स्व० अजित नेलसन तिरकी ग्राम-काटमकुकू, महुँवाटोली, पोस्ट-लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="247 862 1388 985"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>काटमकुकू</td> <td>158</td> <td>03</td> <td>199</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 560 दिनांक 22.05.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है। अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="215 1310 558 1512"> <p style="text-align: center;"> 30/05/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> </div> <div data-bbox="925 1355 1276 1534"> <p style="text-align: center;"> 20/05/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> </div> </div>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	काटमकुकू	158	03	199	0.10	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
काटमकुकू	158	03	199	0.10								